सं. एन-4407/20/2023-बीसी-I
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन ,
नई **दिल्ली** - 110 001

दिनांक: 09.05.2023

सेवा में,

i. प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 के तहत पंजीकृत समाचार पत्र।
ii. प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल
iii. डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री के प्रकाशक।
iv. ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्मों) के प्रकाशक।

विषय:आयोजकों/मीडिया हाउसों द्वारा कॉन्क्लेव/शिखर सम्मेलन आयोजित करते समय मौजूदा कानूनी प्रावधानों का अनुपालन – के संबंध में।

महोदय,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि हाल ही में एक प्रमुख मीडिया हाउस द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिजनेस शिखर सम्मेलन (समिट) में, मंच का इस्तेमाल स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ऐसी कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम, 2019 की धारा 4 का उल्लंघन थी, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।

2. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया निकायों को तदनुसार यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि विज्ञापन या किसी प्रचार या अन्य अभियान आदि के माध्यम से उपरोक्त क़ानून का उल्लंघन नहीं किया जाता है।

3. इसे मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,
हस्ता-/-
(प्रतीक जैन)

उप निदेशक
दूरभाष: 2373316
ईमेल: prateekjain.89@gov.in

प्रतिलिपि:

i. केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत पंजीकृत टीवी चैनलों के स्व-विनियामक निकाय।
ii. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत स्व-विनियामक निकाय।
iii. सोशल मीडिया मध्यस्थ।
iv. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संघ/निकाय।
v. सचिव, भारतीय प्रेस परिषद्।
vi. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - को दिनांक 06.04.2023 के अ.शा. सं. जेड.21020/41/2019-टीसी के संदर्भ में सूचनार्थ।